नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) -201309
दूर. 0120-2405969.70.71.72.73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel. 0120-2405969.70.71.72.73. Fax : 0120-2405182
वेबसाइट / Website : www.nvshq.org

फा.सं. 14-1/2017(हि.प्र.) /346 दिनांक: 11.07.2017

सेवा में,

उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी संभागीय कार्यालय

विषय : संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु 'वार्षिक कार्यक्रम 2017-18'

महोदय,

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें सरकारी प्रयोजनों के लिए कार्य की विभिन्न मदों को राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्रति इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर संभव उपाय किए जाएं। कृपया संपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट/लिंक http://rajbhasha.nic.in/sites/default/files/ap20172018_7.pdf से डाउनलोड करें।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त वार्षिक कार्यक्रम में निहित बिंदुओं/लक्ष्यों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम पर आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में गहन चर्चा की जाए और संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं तथा जाँच बिंदु तय किए जाएं।

आपके अधीनस्थ ज.न.वि. को भी उक्त निर्देश परिचालित किए जाएं और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(ए.एन. रामचन्द्र)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, सभी नवोदय नेतृत्व संस्थान - उपरोक्त कार्रवाई हेतु।
2. प्राचार्य, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय (न.वि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)।
3. वेबमास्टर, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा - कृपया इसे न.वि.स. की वेबसाइट पर डालें।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1.ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 85% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

13	(I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		